फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 18/2023

महेन्द्र सिंह **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0टे0 एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थीगण विवादित भूमि खाता संख्या नया 346 पुराना 279 जिसके खसरा नंबर 9934 लगायत 9949 कुल किता 16 कुल रकबा 3.33 है0 वाके ग्राम चाकसू पश्चिम पटवार हल्का चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम महेन्द्र सिंह सांवरिया पुत्र परमानन्द दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि अप्रार्थी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि महेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द एवं महेन्द्र सिंह सांवरिया पुत्र परमानन्द नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः जवाब सरकार एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द के स्थान पर महेन्द्र सिंह सांवरिया पुत्र परमानन्द किया जावें। अतः प्रार्थी के महेन्द्र सिंह सांवरिया पुत्र परमानन्द विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	